संख्याः– / 42 / XXvii(10) / 16 / 2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 16 जून, 2017

विषयः– दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान एवं मृत्यु उपदान की अनुमन्यता विषयक।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाने, शारीरिक / मानसिक अक्षमता हो जाने की दशा में पेंशन / पारिवारिक पेंशन / असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपदान / मृत्यु उपदान की सुविधा अन्तरिम रूप से कार्यालय ज्ञाप संख्या– 272 / XXVII(7)56 / 2011 दिनांक 09.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7 / 5 / 2012–पी0एण्ड0पी0डब्ल्यू(एफ) / बी दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) से आच्छादित कार्मिक, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत शामिल कर्मचारियों के लिये लागू नियम और शर्तों पर सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

3. उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–7 / 5 / 2012–पी0एण्ड0पी0डब्ल्यू(एफ) / बी दिनांक 26.08.2016

क्रमशः पृष्ठ–2,

के कम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.10.2005 से लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान (Retirement Gratuity) और मृत्यु उपदान (Death Gratuity) का लाभ उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनीफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 (यथासंशोधित) से आच्छादित कर्मचारियों की भांति अनुमन्य होगा।

4. यह आदेश दिनांक 01.10.2005 से प्रभावी माना जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या:– 174 / 42 / xxvii(10) / 16 / 2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सी0ई0ओ0, पेंशन फण्ड रेग्यूलेटरी एण्ड डेवलेपमेण्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली।

3– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।

4– मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल।

5– समस्त जिलाधिकारी / मुख्य / वरिष्ठ / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव